

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर चेतक ब्रिज के पास भोपाल-462023

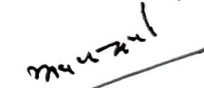
क्र./यू.सी.आर./सी/134/नियो./2022/ 779

भोपाल, दिनांक 19.04.2022

:: आदेश ::

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अन्तर्गत प्रावधिक रूप से चयनित/प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किये गये प्रकरणों के कम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.03.2022 में अंग्रेजी विषय के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

1. माध्यमिक शिक्षक नियोजन अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पद हेतु केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी, जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी रहा हो। फाउण्डेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी।
2. उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थिति में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे।


(अभय वर्मा)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19.04.2022

पृष्ठा.क्र./यू.सी.आर./सी/134/नियो./2022/ 780
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश